# मध्यप्रदेश शासन
# वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 8-5/1176/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

**विषय.**—समान ग्रेड पे में उच्च उत्तरदायित्व के पद पर पदोन्नति दिये जाने पर वेतन निर्धारण के संबंध में.

**संदर्भ.**—1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 1/5/2007/नियम/चार, दिनांक 9-4-2007.
2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 8/09/नियम/चार, दिनांक 28-2-2009.

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1/5/2007/नियम/चार, दिनांक 9-4-2007 द्वारा भर्ती/पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत जहां शासकीय सेवक ऐसे वेतनमान में उच्च पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत किया जाता है, जो निम्न पद के वेतनमान के समरूप है और पदोन्नति के बाद के पद के साथ विशेष वेतन की पात्रता नहीं हैं, तो ऐसे मामलों में नियुक्त अथवा पदोन्नति होने पर (पांचवा वेतनमान में) शासकीय सेवक को मूल नियम 22डी (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की पात्रता है.

2. राज्य शासन द्वारा दिनांक 28-2-2009 को छठवें वेतनमान के अनुक्रम में म. प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 जारी किये गये हैं इन नियमों के नियम-12 में दिनांक 1-1-2006 या इसके पश्चात् पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करने का प्रावधान है. इस प्रावधान में समान ग्रेड पे पर पदोन्नत होने पर वेतन निर्धारण के निर्देश नहीं है.

3. कतिपय विभागों द्वारा यह पृच्छा की जा रही है कि विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार समान ग्रेड पे पर पदोन्नति होने पर किस प्रकार वेतन निर्धारण किया जावे. इस संबंध में राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि म. प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 (छठवें वेतनमान) में समरूप वेतन बैण्ड तथा समान ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार होने पर पदोन्नति पूर्व पद के वेतन एवं ग्रेड पे के 3 प्रतिशत की दर से वेतनवृद्धि जोड़कर पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण किया जावे. इस संबंध में उदाहरण क्रमांक 1 एवं 2 संलग्न हैं. इस तरह पदोन्नति पर वही ग्रेड पे प्राप्त होगा, जो पूर्व पद पर प्राप्त हो रहा है.

4. इस आदेश जारी होने की तिथि के 3 माह के भीतर पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों में पुन: विकल्प देने की पात्रता होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
**(एस. एन. मिश्रा)**
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

**उदाहरण-एक**

''क'' कर्मचारी जो सहायक ग्रेड-2 के पद पर वेतन बैण्ड रुपये 5200-20200+2400 ग्रेड पे में कार्यरत है. उक्त वेतनमान में दिनांक 1-7-2010 को वेतन रुपये 8000+2400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहा है. उक्त कर्मचारी की पदोन्नति अधिक उत्तरदायित्व वाले लेखापाल के पद पर वेतन बैण्ड रुपये 5200-20200+2400 ग्रेड पे (समान वेतन बैंड में) दिनांक 1-5-2011 को होती है तो संबंधित द्वारा वेतन निर्धारण (अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर तथा (ब) पदोन्नति पर आगामी वेतन वृद्धि के दिनांक से लाभ लेने का विकल्प देने पर निम्नानुसार होगाः—

| | **सहायक वर्ग-2**<br>पूर्व पद का वेतनमान<br>**5200-20200+2400 ग्रेड पे** | **लेखापाल**<br>पदोन्नति पद का वेतनमान<br>**5200-20200+2400 ग्रेड पे** |
|---|---|---|
| **(अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर** | | |
| 1-7-2010 | 8000+2400 ग्रेड पे | — |
| 1-5-2011 | पदोन्नति 8000+2400 ग्रेड पे | 8320+2400 |
| 1-7-2011 | — | (8320+2400) मौलिक पद का वेतन |
| 1-7-2012 | आगामी वेतनवृद्धि | 8650+2400 |
| **(ब) पदोन्नति पर आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक का विकल्प लेने परः—** | | |
| 1-7-2010 | 8000+2400 | — |
| 1-5-2011 | पदोन्नति 8000+2400 | 8000+2400 |
| 1-7-2011 | (8320+2400) | 8650+2400 विकल्प अनुसार वेतन निर्धारण |
| 1-7-2012 | आगामी वेतनवृद्धि | 8990+2400 |

हस्ता./-
**( डी. के. सक्सैना )**
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

**उदाहरण क्रमांक-दो**

"ख" कर्मचारी जो सहायक ग्रेड-2 के पद पर वेतन बैण्ड रुपये 5200-20200+2400 ग्रेड पे में दिनांक 1-7-2010 को वेतन रुपये 8000+2400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहा है. उक्त कर्मचारी की पदोन्नति अधिक उत्तरदायित्व वाले लेखापाल के पद पर वेतन बैण्ड रुपये 5200-20200+2400 ग्रेड पे में (समान वेतन बैंड) दिनांक 1-1-2011 को होती है तथा पदोन्नति पर वेतन निर्धारण (अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर एवं (ब) पदोन्नति पर आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक से लाभ लेने का विकल्प देने पर वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगा:—

| | **सहायक वर्ग-2**<br>पूर्व पद का वेतनमान<br>**5200-20200+2400 ग्रेड पे** | **लेखापाल**<br>पदोन्नति पद का वेतनमान<br>**5200-20200+2400 ग्रेड पे** |
|---|---|---|
| (अ) **पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर** | | |
| 1-7-2010 | 8000+2400 ग्रेड पे | — |
| 1-1-2011 | पदोन्नति 8000+2400 ग्रेड पे | 8320+2400 |
| 1-7-2011 | आगामी वेतनवृद्धि | 8650+2400 ग्रेड पे |
| (ब) **पदोन्नति पर आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक का विकल्प लेने पर:—** | | |
| 1-7-2010 | 8000+2400 | — |
| 1-1-2011 | 8000+2400 | (8000+2400) |
| 1-7-2011 | (8320+2400) | 8650+2400 विकल्प अनुसार वेतन निर्धारण |
| 1-7-2012 | आगामी वेतनवृद्धि | 8990+2400 |

हस्ता./-

**( डी. के. सक्सैना )**

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.